



2026:AHC:8554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 223 वर्ष 2026

देव वर्मा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता प्रदीप कुमार एक ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, जिनकी मृत्यु 25.10.2013 को हो गई। चूंकि रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 17.03.2003 थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2021 में वयस्कता प्राप्त किया तत्पश्चात उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया। पंचायती राज के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निदेशक ने 21.03.2023 को विशेष सचिव, पंचायती राज को उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में छूट के लिए एक पत्र भेजा है।

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी गणों के लिए छूट के लिए दस्तावेज को राज्य सरकार को भेजने का कोई अवसर नहीं है, खासकर जब बीच की परिस्थितियां स्वयं दिखाती हैं कि रिट याचिकाकर्ता ने कार्यवाही में देरी नहीं की, खासकर जब उसने वर्ष 2021 में वयस्कता प्राप्त किया और उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन को वरीयता दी। **विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3528 वर्ष 2022, गणेश शंकर शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में 15.07.2022 के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी हो, प्रतिवादी गणों के कहने पर एक उचित निर्णय लिया जाएगा, खासकर जब, उनके अनुसार, तथ्य स्वयं दिखाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021 में वयस्कता प्राप्त किया था और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब रिट याचिकाकर्ता नाबालिग था।

5. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों को सुनने और अंतरित तथ्यों को देखने के बाद, रिट याचिका का निस्तारण किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से आग्रह करने की आवश्यकता है, जो इसके बाद एक उचित आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दिनांक से दो माह के भीतर **गणेश शंकर शुक्ला (सुप्रा)** के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।